न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

जी.सी.एम.एस संख्या 2023/15 जिला जयपुर

1. अनिता यादव पत्नी रामनिवास यादव जाति जाट अहीर निवासी खोरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत खोरी जरिये सचिव पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश राजस्व क्रमांक आर । (07)/2020/विविध—शाहपुरा/4601 दिनांक 05.08.2022 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर वाके ग्राम खोरी के खसरा नम्बर 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर आबादी को पुनः चारागाह में दर्ज किया गया।

उपस्थित—

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —05.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 05.08.2022 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं ग्राम पंचायत खोरी के प्रस्ताव अनुसार ग्राम खोरी तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1828 रकबा 20.1400 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.50 हैक्टेयर आबादी हेतु आरक्षित भूमि को पुनः चारागाह में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 05.08.2022 को दिये गये।

3. जिला कलक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 05.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट अनिता यादव पत्नी रामनिवास यादव जाति जाट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 05.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आबादी भूमि खसरा नम्बर 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर को गलत तरीके से पुनः चरागाह में दर्ज कर दी। जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का भूखण्ड संख्या 29 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.10.2014 को जारी किया गया था। तब से ही भूखण्ड का निर्माण कर अपीलान्ट उपयोग उपभोग करती आ रही है। यह कि उक्त आराजीयात ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा दिनांक 16.12.2010 को आबादी प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट/आंवटन की गई थी। उक्त आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती थी न कि प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही करते हुए खारिज किया जा सकता है। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर गौशाला का बना हुआ दर्शाया गया है जबकि मौके पर गौशाला का निर्माण नहीं है। यह कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पुख्ता निर्माण किया हुआ है तथा भूमि की किस्म परिवर्तित कर अपीलान्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किए बिना एवं अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 05.08.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के प्रस्ताव के मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि आबादी हेतु आरक्षित है उक्त खसरा नम्बरान पर मौके पर किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं है तथा भूमि गौशाला के उपयोग में आ रही है उक्त खसरा नम्बर पर गौशाला बनी हुई है तथा गौशाला के अतिक्रमण हटाने बाबत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखली के आदेश दिये गये है। बेदखली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है उक्त भूमि में से ग्राम पंचायत खोरी के द्वारा आबादी के पट्टे जारी किये गये थे जिन्हें कार्यालय पंचायत समिति शाहपुरा की प्रशासक एवं स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 30.09.2019 के द्वारा खारिज किये जा चुके है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1828/1 आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित है को पुनः चारागाह भूमि में परिवर्तन करने के आदेश ग्राम पंचायत खोरी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11.11.2019 को लिया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार ही आरक्षित भूमि को पुनः चारागाह में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 05.08.2022 को दिये गये जो कि उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व अभिशंसा के आधार पर सही जॉच के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिए गए हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। अपीलांट को जारी नकल 27.12.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है एवं प्रभावित पक्षकार होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवादित भूमि मुताबिक रिकॉर्ड आराजी खसरा नं. 1828/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर चारागाह आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम खोरी के खाता 528 में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 05.08.2022 को ग्राम पंचायत खोरी एवं उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा की अभिशंसा व मौका रिपोर्ट के अनुसार ही आराजी खसरा नम्बर 1828 रकबा 20.1400 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.50 हैक्टेयर आबादी हेतु आरक्षित भूमि को पुनः चारागाह में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं एवं उक्त भूमि में से ग्राम पंचायत खोरी के जो आबादी पट्टे जारी किये गये थे उन्हें कार्यालय पंचायत समिति शाहपुरा की बैठक के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 30.09.2019 के द्वारा पूर्व में ही खारिज किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 05.08.2022 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर का निर्णय दिनांक 05.08.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर